उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

(Election of Vice President)

अनु. 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों → निर्वाचित + मनोनीत

According to Article 66(1), the Vice-President is elected by all the members of both the Houses of Parliament.

MP ✓
MLA ✗

Art. 66(1) → उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
(1) अप्रत्यक्ष (Indirect election)
⇒ Voter मतदाता ⇒ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य
(All members of Parliament)
⇒ MP ← निर्वाचित + मनोनीत

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी 'अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली' द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है ।

The election of the Vice President also takes place through the 'single transferable vote system according to the proportional representation system' and voting in such an election is secret.

पद्धति (Manner) → Same Method of President
राष्ट्रपति की तरह

मतदान → गुप्त
Secret

उपराष्ट्रपति की पदावधि

(Term of Office of Vice President)

- संविधान के अनच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the Vice President is 5 years.
- राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है । • Can submit resignation to the President.

कार्यकाल (Tenure) ⇒ Art. 67 ⇒ 5 वर्ष (पद ग्रहण की दिन से)
5 वर्ष पूर्व त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति

यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा; If the Rajya Sabha passes a resolution to remove him from office by a majority of all its then members and the Lok Sabha accepts it, the Vice President will have to resign;

उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना कम से कम चौदह दिन (14) पूर्व न दे दी गई हो । The Vice President has been informed at least fourteen (14) days in advance.

उपराष्ट्रपति को पद हटाने की प्रक्रिया (Removal Process of Vice-President) => आधार (Ground) => संविधान द्वारा निश्चित नहीं (Not fixed by the Const.)

↳ कौन हटाता है? => उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार RS को दिया गया है, वह जो आधार सही समझे, उस आधार पर हटा सकती है।

① => 14 दिन पूर्व सूचना (Before 14 days - Notice) => उपराष्ट्रपति

② Rs में प्रस्ताव में पेश (Introduced the Motion in Rs)

③ प्रस्ताव पर Rs में चर्चा (Debate on the Motion in Rs)

④ प्रस्ताव राज्यसभा से पारित (Pass) ⇒ साधारण बहुमत (Simple Majority)

Note:⇒ Rs से पारित (Pass) होने के पश्चात् इस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी होगी। ➡ उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा।

- उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र (As Soon As) कराया जायेगा।

  The election to fill the vacancy caused by his death, resignation or removal shall be held as soon as possible.

RS
सभापति
उपसभापति

उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति ⟶ कारण - (1) मृत्यु (2) त्यागपत्र
To fulfill the vacancy of Vice-President (3) हटाया जाना, other Reason (अन्य कारण)

⇒ पद रिक्त होने पर, इस पद को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र (As soon As) करवाए जायेंगे।

- नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। The new Vice President will hold office for a term of five years from the date on which he assumes office.

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । There is no provision in the Constitution for appointing an acting Vice President.

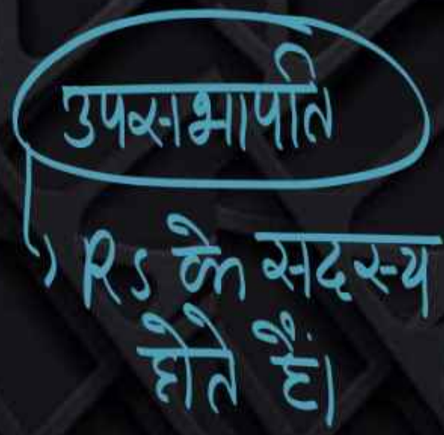

उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है । वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। The Vice President is eligible for re-election. He can be elected to this post multiple times.

Q. => क्या उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है?

=> वर्तमान
↳ जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर लें। The Vice-President continues in office even after completing his five-year term until his successor assumes office.

→ नया उपराष्ट्रपति

Q ⇒ क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् अपने पद पर रह सकते हैं? ⇒ Yes

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

अनुच्छेद 69,

Article 69,

शपथ कौन दिलाता है? ⇒ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

वेतन एवं भत्ते (The Salary and Allowances)

अनु. 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

The salary of the Chairman of Rajya Sabha is paid under Article 97. He is not paid the salary of his post.

Art.97 Salary (वेतन) ⇒ राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है।
⇒ 4 लाख रु०/ Per Month
⇒ भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
(Payed from Consolidated Fund of India)

यह वेतन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित होता है।

This salary is charged on the Consolidated Fund of India.

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। When the Vice President acts as Acting President under Article 65, he does not function as the Chairman of the Rajya Sabha.

Art. 65 ⇒ के अनुसार जब राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते है।

संघीय मंत्रि-परिषद The Union Council of Ministers

अनु. 74 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

Article 74 states that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister as its head to aid and advise the President.

Art: 74

प्रधानमंत्री की नियुक्ति- (अनु. 75 (1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

Appointment of Prime Minister - (Article 75(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

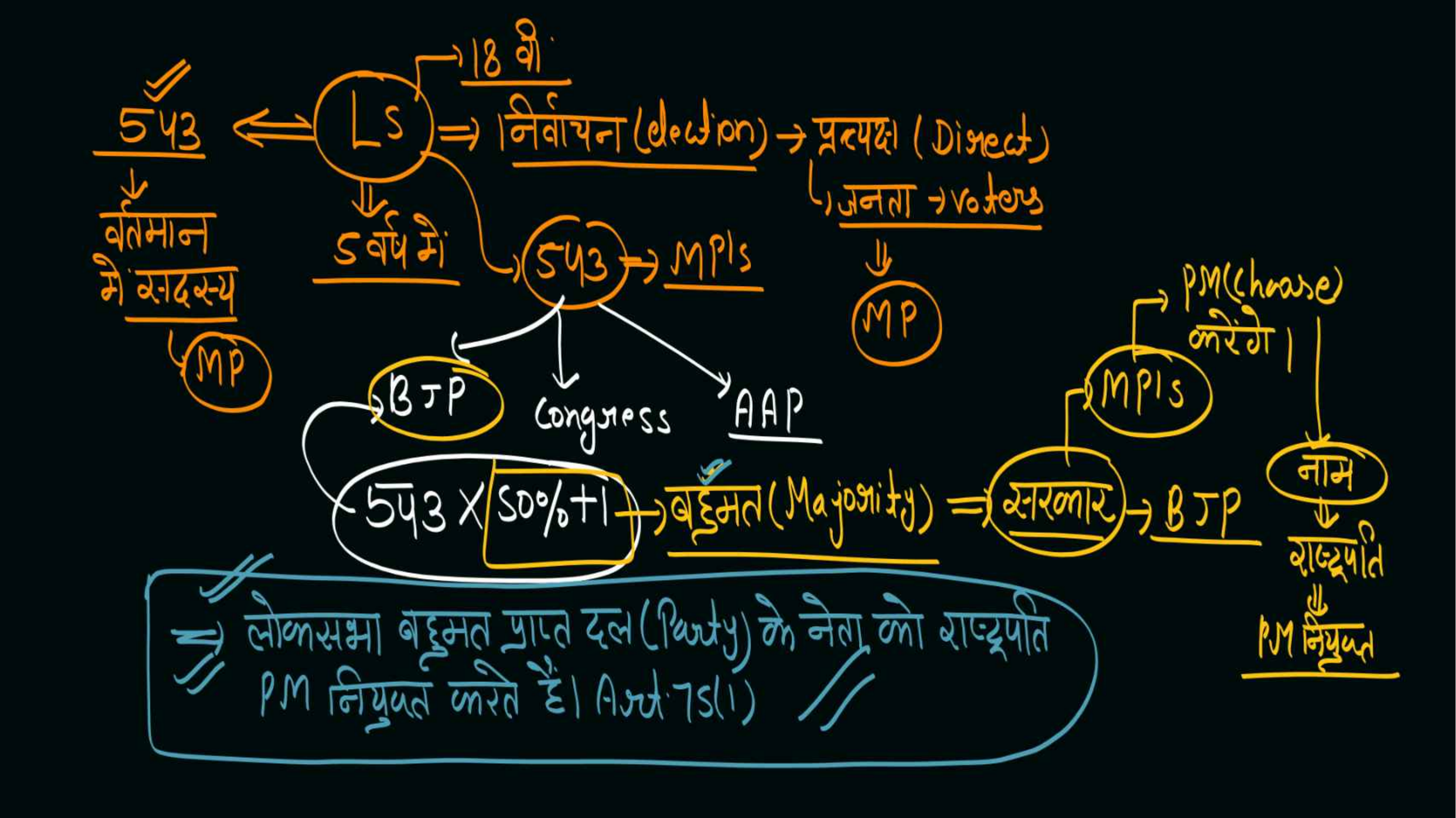
543
LS
18 वीं
निर्वाचन (election) → प्रत्यक्ष (Direct)
जनता → voters
5 वर्ष में
543 → MPs
MP
वर्तमान में सदस्य
MP
BJP
Congress
AAP
543 X 50%+1 → बहुमत (Majority) → सरकार → BJP
MPs
PM (choose) करेंगे।
नाम
राष्ट्रपति
PM नियुक्त
लोकसभा बहुमत प्राप्त दल (Party) के नेता को राष्ट्रपति PM नियुक्त करते हैं। Art. 75(1)

मंत्रिगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (during the pleasur) अपना पद धारण करते हैं। [अनु. 75(2)] + PM

Ministers and PM hold office during the pleasure of the President.

[Article 75(2)]

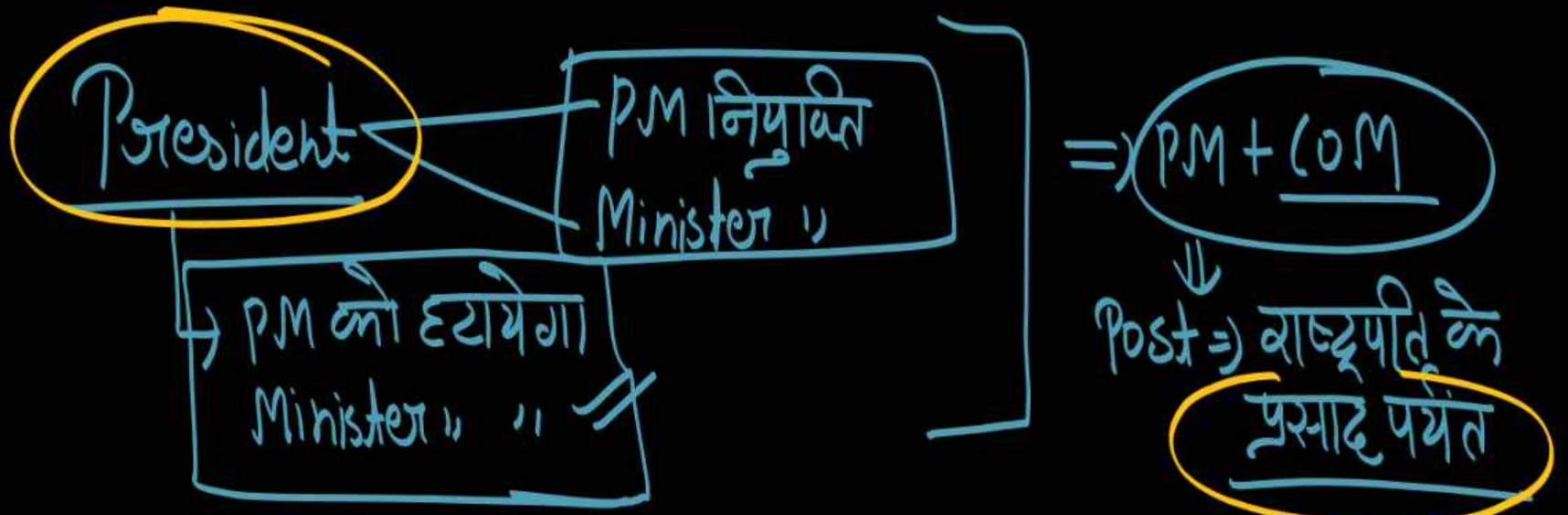

⇒ जब तक PM को लोकसभा में बहुमत होता है, तब उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। (PM ⇒ 5 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं।)

⇒ मंत्री, प्रधानमंत्री के विश्वास पर अपने पद रहता है, विश्वास न रहने पर PM किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से कहकर हटवा सकते हैं।

(मंत्रियों की अर्हताएँ (Qualifications of Ministers)-(PM+Minister)

किसी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि (वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो।

↳ LS/RS

For a person to become a member of the Council of Ministers it is necessary that (he is a member of either House of Parliament.

Q => अगर कोई व्यक्ति LS/RS का सदस्य नहीं है तो क्या वह PM/Minister बन सकता है? => Yes, हाँ।

अनु. 75(5) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो इसे 6 महीनें के अन्दर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है

According to Article 75(5), if a person is not a member of Parliament at the time of becoming a minister, he must become a member of Parliament within 6 months.

मंत्रियों के प्रकार (Kinds of Ministers)-

मंत्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं यथा-

There are three types of ministers in the council of ministers, namely-

(1) कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)

(2) राज्य मंत्री (Minister of State), **तथा**

(3) उपमंत्री (Deputy Ministers)

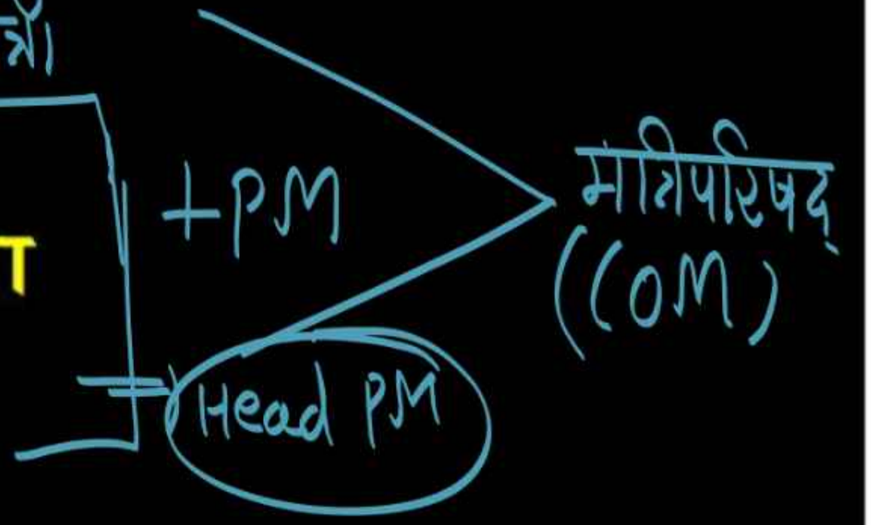

मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers)

प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमण्डल (Cabinet) केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है।

Prime Minister, Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers are the collective names of all these, whereas the Cabinet is only a group of Cabinet Ministers.

(मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण (Oath of Ministers) –

प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अनुसूची तीन में दिये गये प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।

Every Minister, including the Prime Minister, has to make and take the oath of office and secrecy before the President in the format given in Schedule Three.

मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल tenure of council of ministers

मंत्रिपरिषद् तभी तक अस्तित्व में बनी रहती है जब तब कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।

The Council of Ministers remains in existence only as long as it enjoys the confidence of the Lok Sabha.

प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है।

The Prime Minister can recommend to the President to remove any minister from his post at any time.

मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या

Number of members of council of ministers

किन्तु 91 वें संविधान संशोधन-2003 द्वारा मंत्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोक सभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

But by the 91st Constitutional Amendment-2003, the total number of members in the Council of Ministers including the Prime Minister shall not exceed 15 percent of the total number of members of the Lok Sabha.

सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility)

(अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि, 'मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

(Article 75(3) states that, 'The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

अनुच्छेद-78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है

Under Article 78, the Prime Minister has been made a link of communication between the Council of Ministers and the President.

प्रशासन या विधान सम्बन्धी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे।

Inform the President about all decisions of the Council of Ministers related to administration or legislation.

राज्य मंत्रिपरिषद (The State Council of Ministers)

अनु. 163 के अनुसार कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।

According to Article 163, there will be a Council of Ministers to assist him in discharging his functions, headed by the Chief Minister.

मुख्यमंत्री की नियुक्ति Appointment of the chief Minister

अनु. 164 (1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा।

Article 164(1) states that the Chief Minister shall be appointed by the Governor and other Ministers shall be appointed by the Governor in consultation with the Chief Minister.

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति Appointment of the Other Minister

अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की मंत्रणा पर करता है। 91 वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत नियत किया गया है

The Governor appoints other ministers on the advice of the Chief Minister. By the 91st Constitutional Amendment (2003), the maximum number of ministers in the State Council of Ministers has been fixed at 15 percent of the total number of members of the Legislative Assembly including the Chief Minister.

मंत्रियों की योग्यताएं Qualifications of the Minister

विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य हों। परन्तु मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रि परिषद में शामिल कर सकता है जो विधानमण्डल का सदस्य नहीं है किन्तु शर्त यह है कि उसे 6 माह के भीतर विधानमण्डल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है।

Must be a member of any House of the Legislature. But the Chief Minister can include a person in the Council of Ministers who is not a member of the Legislature but the condition is that he must become a member of the Legislature within 6 months.

मंत्रियों द्वारा शपथ-ग्रहण Oath by the Minister

राज्यपाल द्वारा शपथ दिलायी जाती है। प्रथम पद की शपथ तथा दूसरी गोपनीयता की शपथ। शपथ का प्रारुप अनुसूची तीन में दिया गया है।*

The oath is administered by the Governor. First is the oath of office and second is the oath of secrecy. The format of the oath is given in Schedule 3.*

मंत्रियों की श्रेणियाँ Cotegory of Ministers

मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं-

There are three categories of ministers-

(i) कैबिनेट मंत्री या मत्रिमण्डल के सदस्य,

Cabinet Ministers or Members of the Cabinet,

(ii) राज्यमंत्री और Ministers of State and

(iii) उपमंत्री Deputy Ministers

मंत्रिपरिषद का कार्यकाल Term of office of the C.O.M.

सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना, अर्थात् 5 वर्ष तक हो सकता है।

Generally, the maximum tenure of the Council of Ministers can be equal to the tenure of the Legislative Assembly, i.e. 5 years.

सामूहिक उत्तरदायित्व Collective Responsibility

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है*

The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly*

अनुच्छेद 167 के तहत्, मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मंत्रिपरिषद् के सभी निर्णय राज्यपाल को संसूचित करे,

Under Article 167, it is the duty of the Chief Minister to communicate to the Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration and legislation of the state.